नईदुनिया

संपादकीय

त्योहार आस्था का है अवरोध का नहीं

त्योहारों का मौसम आते ही शहर की रौनक बढ़ जाती है। बाजारों में रोशनी और मन में उत्साह होता है। हर धर्म और समुदाय अपने उत्सव को मनाता है। यही भारत की खूबसूरती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एक चिंता भी जुड़ गई है। वह है सड़कों पर मंच और झांकियों के नाम पर अतिक्रमण। शांति समिति की बैठकों में प्रशासन ने मुख्य सड़कों पर मंच नहीं लगाने को कहा था। बात कागज पर अच्छी लगी, लेकिन जमीन पर असर कम दिखता है। कई शहरों में बड़े मंच खड़े होकर सड़क घेर लेते हैं।

उत्सव बड़ा है तो व्यवस्था भी बड़ी होनी चाहिए। कोई धर्म यह नहीं सिखाता कि भक्ति से दूसरे को कष्ट हो। धर्म का मूल करुणा और दूसरों के सुख का ध्यान रखना है। सड़क पर मंच बनने से एंबुलेंस, स्कूल बस और राहगीर प्रभावित होते हैं। क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर है कि वह दूसरों को रोककर ही पूरी होगी?

धार्मिक स्थल की मर्यादा तभी बनी रहती है, जब उसके बाहर की मर्यादा भी बनी रहे। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा सभी पवित्र हैं। पवित्रता उनके परिसर में है। उसे सड़क पर लाकर हम उसकी गरिमा बढ़ा नहीं रहे, बल्कि घटा रहे हैं। भक्ति का प्रदर्शन सड़क घेरने में नहीं, उसे सबके लिए खुला रखने में है।

शांति समिति में सहमति जताने के बाद भी कई बार वही पुराना तरीका अपनाया जाता है। इसमें आयोजकों के साथ प्रशासन की हिचक भी जिम्मेदार है। कार्रवाई से धार्मिक भावना आहत होने का डर दिखाया जाता है। इसी कारण नियमों की अनदेखी होती है। नियम सभी के लिए समान होने चाहिए।

यदि मंच बनाना ही है तो वैकल्पिक स्थान तय किए जा सकते हैं। खाली मैदान या खुली जगह बेहतर विकल्प हैं। आयोजकों को पहले से स्थान आवंटित किया जाए। सड़क का हिस्सा यातायात के लिए खुला रखने, मंच की ऊंचाई और समय सीमा तय करने के साथ सफाई की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होनी चाहिए। इससे यातायात सुचारू रहेगा और सम्मान बढ़ेगा।

त्योहारों का असली श्रृंगार रोशनी और फूलों से नहीं, अनुशासन से होता है। सुव्यवस्थित झांकी लोगों के दिल में ज्यादा देर तक रहती है। अव्यवस्थित मंच मन में चिढ़ पैदा करता है। आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि धर्म का अर्थ सड़क रोकना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है।

मध्य प्रदेश शांति और सद्भाव का प्रदेश रहा है। यहां सभी धर्मों के त्योहार मिलजुलकर मनाए जाते हैं। त्योहार सहज और सबके लिए सुलभ रहने चाहिए। प्रशासन को शांति समिति की बात को बैठक तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि निष्पक्षता से पालन कराना चाहिए। सभी आयोजकों के लिए समान नियम हों। सड़क निजी संपत्ति नहीं, वह सबकी है।

झांकी तभी सुंदर लगेगी, जब उसके सामने से गुजरने वाला व्यक्ति उसे मुस्कुराते हुए देख सके, न कि जाम में फंसकर कोसते हुए। त्योहार उत्साह से मनाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके ढोल की आवाज से किसी मरीज की नींद न टूटे और आपके मंच से किसी राहगीर का रास्ता न रुके। यही सच्ची भक्ति है, यही मर्यादा और यही हमारे प्रदेश की संस्कृति है।

आजकल

जब गुरु की निष्ठा पर ऐप भारी पड़ने लगे

तकनीक को शिक्षा में सहायक होना था, पर मध्य प्रदेश में वही तकनीक शिक्षक और सरकार के बीच दीवार बनती दिख रही है। मुद्दा सिर्फ अंगूठा लगाकर हाजिरी दर्ज करने का नहीं है, बल्कि उस सहमति पत्र का है, जिस पर हस्ताक्षर करने से शिक्षकों को लगता है कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की चाबी किसी अनजान सर्वर को थमा दी है। सरकार इसे पारदर्शिता कह रही है और शिक्षक इसे पहरेदारी। यहीं से टकराव शुरू होता है। ई-हाजिरी का विरोध करने वाले तीन लाख 75 हजार शिक्षक कोई कामचोर नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर गांवों के स्कूलों में समय से पहले पहुंचने वाले शिक्षक हैं। उनका डर हाजिरी से नहीं, उस डेटा से है जो हाजिरी के नाम पर मांगा जा रहा है। मोबाइल नंबर, लाइव लोकेशन और सर्विस रिकॉर्ड जैसी जानकारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यदि स्कूल की जियोटैगिंग से काम चल सकता है तो मोबाइल की हर मूवमेंट क्यों ट्रैक हो? पोर्टल पर 36 हजार 827 से अधिक मामले दर्ज हैं और 19 हजार से ज्यादा मामले अब भी निराकरण का इंतजार कर रहे हैं। 17 हजार 817 परिवेदनाएं लंबित हैं। जिस सिस्टम को शिक्षकों की समस्याएं सुलझानी थीं, वही उनकी समस्याओं का पहाड़ बन गया है। जब निराकरण धीमा और निगरानी तेज हो तो असंतोष स्वाभाविक है। सरकार को पहले डेटा की सुरक्षा और उपयोग को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। डेटा कहां रहेगा और किसकी पहुंच होगी, यह स्पष्ट होना चाहिए। हाजिरी के लिए स्कूल परिसर की उपस्थिति पर्याप्त हो तो मोबाइल की पल-पल की लोकेशन लेने से बचना चाहिए। सहमति पत्र भी सरल होना चाहिए।

जब अदालत ने पूछा वो नन्हे पाँव जो आँगन से गुम हो गए

घर की दहलीज पर अब भी एक अधूरी लकीर है। वह लकीर उस नन्हे पाँव की है, जो सुबह खेलने निकला था और शाम को लौटा ही नहीं। माँ की आँखें अब भी दरवाजे पर टिकी हैं और पिता की हथेली में अब भी एक मुड़ा हुआ पुराना पोस्टर है, जिस पर लिखा है - मेरा बच्चा गुमशुदा है।

इसी खामोश आँगन की आवाज को जब कोई सुनने वाला नहीं मिला तो बात जनहित याचिका बनकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुँची और सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई, वह कानून की सख्ती नहीं थी, वह एक पिता की चिंता थी, एक माँ की पुकार थी। अदालत ने केंद्र और राज्यों से पूछा कि बताओ, वो बच्चे कहाँ गए, जो तुम्हारे नक्शे से गुम हो गए। यह सवाल किसी फाइल का नहीं था, यह सवाल उस बचपन का था, जो भीड़ में कहीं खो गया है।

भीड़ में बिछड़ा बचपन और बदलता अपराध-अपहरण शब्द अब वैसा नहीं रहा, जैसा किस्से-कहानियों में सुना जाता था। अब अपहरण के चेहरे बदल गए हैं। कभी यह फिरौती के लिए होता था, अब यह भूख के व्यापार के लिए होता है। कभी यह दुश्मनी से होता था, अब यह बाजार की मांग से होता है। कोई नन्ही आँखें भीख मंगवाने के लिए उठा ली जाती हैं, कोई कोमल हाथ कारखाने में काँच ढोने के लिए ले जाए जाते हैं, कोई मासूम देह अँधेरे बाजार में बेच दी जाती है।

तकनीक ने इस पाप को और पंख दे दिए हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर चमकता एक गेम, एक अनजान दोस्ती, एक मीठा लालच और फिर एक सन्नाटा। बच्चा एक क्लिक में अनजान गली में पहुँच जाता है और वहीं से गायब हो जाता है। और हम समझते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है, जबकि सच यह है कि बच्चा फँसा लिया गया है।

फाइल में गुमशुदा और दिल में लापता-थाने में जब कोई माँ जाती है तो उसकी गोद खाली होती है, पर उसकी जुबान पर एक ही नाम होता है। पुलिस पहले लिखती है - गुमशुदा। यह शब्द ही कितना निर्मम है, जैसे बच्चा खुद कहीं खो गया हो। फिर जाँच शुरू होती है, धीरे-धीरे। और तब तक वह बच्चा किसी और शहर, किसी और नाम से पुकारा जाने लगता है।

खामोश आँगन और सिसकती दहलीज

हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता होने का आँकड़ा केवल संख्या नहीं है। यह हर आठ मिनट में एक आँगन के सूने होने की कहानी है। जो बच्चे मिल भी जाते हैं, वे पहले जैसे नहीं रहते। उनकी हँसी में डर घुला होता है, उनकी नींद में चीख बसी होती है। उन्हें सिर्फ घर नहीं चाहिए, उन्हें भरोसा चाहिए कि अब कोई उन्हें फिर से नहीं उठा ले जाएगा। पर हमारा सिस्टम उन्हें घर तो दे देता है, पर वह भरोसा नहीं दे पाता।

कानून की किताब और जमीन की धूल-हमारे पास कानूनों की अलमारी भरी है। पॉक्सो है, जेजे एक्ट है, एंटी ट्रैफिकिंग सेल है, ऑपरेशन मुस्कान है। कागज पर सब कुछ चमकता है, पर जमीन पर सब कुछ धुंधला है।

रेलवे स्टेशन का वह कोना, जहाँ बच्चे बोतलें बेचते हैं, बस स्टैंड की वह बेंच, जहाँ कोई बच्चा अकेला बैठा है, मेले की वह भीड़, जहाँ एक हाथ छूट जाता है - वहीं से सबसे ज्यादा बचपन उठता है। वहाँ कैमरे लगे हैं, पर देखने वाली आँखें नहीं हैं। वहाँ अधिकारी नियुक्त हैं, पर सुनने वाला दिल नहीं है। बाल कल्याण अधिकारी को यह नहीं सिखाया गया कि रोते हुए बच्चे को कैसे चुप कराना है और इसी बीच अपराधी अपना काम कर जाते हैं। कानून किताब में सख्त है, पर जमीन पर नरम पड़ जाता है।

अदालत की सख्ती में छिपी एक उम्मीद-सुप्रीम कोर्ट ने जब जवाब माँगा तो उसने सिर्फ सरकार को नहीं झकझोरा, उसने हम सबको झकझोरा है। अदालत ने कहा - बताओ, पहले घंटे में क्या किया जाता है? क्योंकि अपहरण में पहला घंटा ही सोने का घंटा होता है। यदि उस घंटे में हरकत हो जाए तो बचपन बच सकता है।

अदालत ने कहा कि हर जिले में एक धड़कता हुआ सेल बने, जो सोए नहीं, जो हर लापता बच्चे की धड़कन को अपनी धड़कन समझे। अदालत का यह सवाल हमें भी अपने भीतर पूछना है। क्या हमने कभी किसी स्टेशन पर अकेले रोते बच्चे को देखा और अनदेखा कर दिया? क्या हमने कभी किसी अनजान व्यक्ति को बच्चों को बहलाते देखा और चुप रह गए? अदालत सजा दे सकती है, पर निगहबानी तो समाज को ही करनी होगी।

भरोसा ही सबसे बड़ी जंजीर है-बच्चे ताले से नहीं बचेंगे, बच्चे भरोसे से बचेंगे। हमें अपने मोहल्ले को फिर से आँगन बनाना होगा, जहाँ हर बच्चा सबका बच्चा हो। जहाँ कोई अनजान हाथ किसी बच्चे को छुए तो दस आँखें सवाल करें। स्कूल में सिर्फ अक्षर नहीं सिखाने हैं, बल्कि यह भी सिखाना है कि अनजान रास्ते से कैसे बचना है। माता-पिता को डराना नहीं है, बल्कि दोस्त बनना है, ताकि बच्चा कुछ भी छुपाए नहीं। और जो बच्चे लौट आए हैं, उन्हें सिर्फ बस्ता नहीं देना है, उन्हें एक नया विश्वास देना है कि दुनिया अभी भी अच्छी है।

सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त लहजा दरअसल एक कोमल चिंता है। यह चिंता इस देश के भविष्य की है। क्योंकि जो देश अपने बच्चों को नहीं बचा सकता, वह अपना कल कैसे बचाएगा? आँगन में खेलता बचपन ही तो इस देश का असली नक्शा है। यदि वही गुम हो गया तो नक्शे पर बची लकीरों का क्या करेंगे?

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

जय विलास के आंगन में बंटता सोना...

ग्वालियर के जय विलास पैलेस की दीवारें सोने से नहीं, समय से बनी हैं। उन दीवारों ने कितने राजतिलक देखे हैं और कितनी मौन विदाइयां भी। आज उन्हीं दीवारों के भीतर एक अजीब-सी खामोशी है, जो बाहर शोर बनकर गूंज रही है। यह शोर किसी युद्ध का नहीं, बल्कि संपत्ति के बंटवारे का है। सिंधिया घराने की संपत्ति का विवाद थमता नहीं, बल्कि गहराता जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह विवाद 41 हजार करोड़ की संपत्ति का है। इसमें जय विलास पैलेस से लेकर कई शहरों में फैली कोठियां और ग्वालियर सहित अन्य राज्यों में स्थित राजशाही संपत्ति शामिल है। कभी जो घराना ग्वालियर की पहचान था, आज वही घराना अदालत की फाइलों में उलझा हुआ नजर आ रहा है। और इस उलझन ने एक दार्शनिक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संपत्ति जोड़ती है या तोड़ती है?

जब विरासत विरासत नहीं, सवाल बन जाए

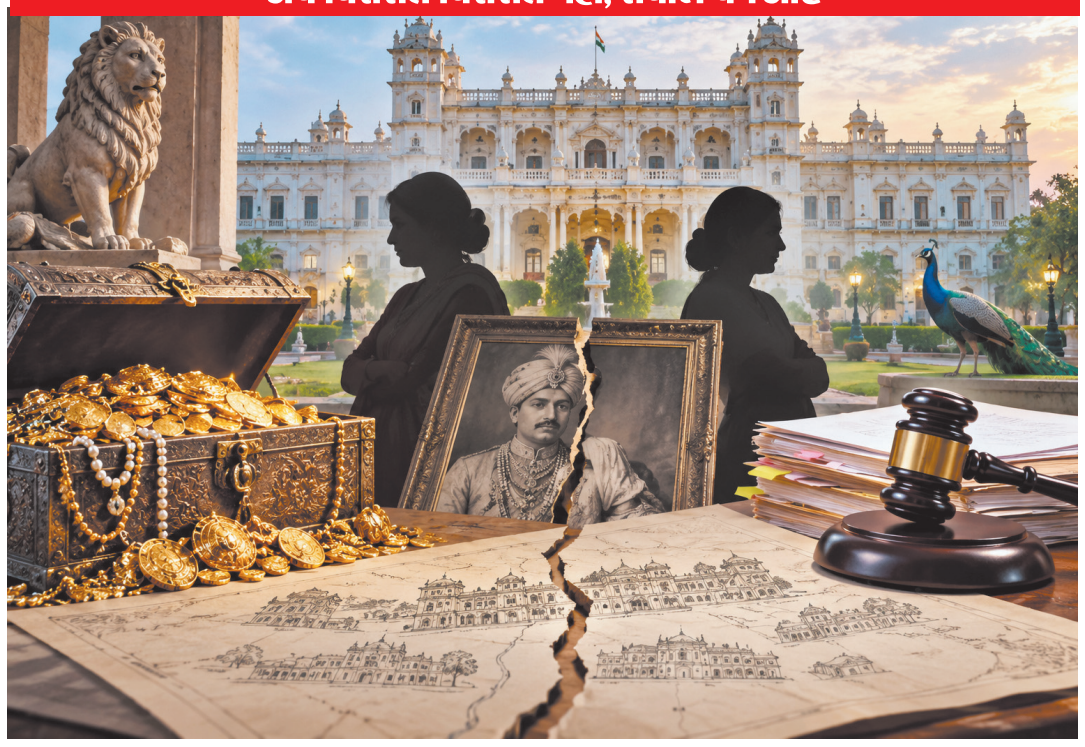

खून का रिश्ता और कागज का बंधन-इस विवाद के केंद्र में प्रतिमा देवी का नाम आता है। प्रतिमा देवी ने पहले से ही इस लड़ाई को कानूनी रूप दिया था। उनका आरोप था कि उन्हें मामले से जुड़े नोटिस और प्रक्रिया पर गंभीर सवाल हैं। पूर्व में पारिवारिक समझौता हुआ था और संबंधित दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। हालांकि, दूसरी ओर प्रीति देवी का कहना है कि उन्हें बिना पूरी जानकारी के प्रक्रिया में शामिल किया गया था। इस बिंदु पर कोर्ट में आगे बहस होनी है।

पर यहां सवाल केवल हस्ताक्षर का नहीं है, सवाल भाव का है। जब रिश्ते कागज पर तय होने लगें तो कागज भारी हो जाते हैं और रिश्ते हल्के पड़ जाते हैं। राज परिवार में जन्म लेना गौरव की बात मानी जाती है, पर उसी गौरव के साथ एक अदृश्य बोझ भी आता है और वह बोझ है अपेक्षा का। हर वारिस को लगता है कि वह ही असली वारिस है और यहीं से दावेदारी शुरू होती है।

41 हजार करोड़ एक संख्या नहीं है, यह एक युग है। इसमें कई पीढ़ियों की महत्वाकांक्षा है, कई राजाओं की दूरदर्शिता है, कई प्रजाओं का पसीना है। महल में लगा हर झाड़-फानूस केवल रोशनी नहीं देता, वह उस समय की कूटनीति का प्रतीक भी है। पर जब उसी रोशनी पर हक की लड़ाई शुरू हो जाए तो रोशनी धुंधली लगने लगती है।

दर्शन कहता है कि संपत्ति कभी स्थिर नहीं रहती, वह हाथ बदलती रहती है। आज जो जय विलास में रह रहा है, कल वह स्मृति में रहेगा। फिर इस संपत्ति पर इतना मोह क्यों? शायद इसलिए कि संपत्ति केवल ईंट और पत्थर नहीं होती, वह पहचान बन जाती है। और पहचान पर जब चोट लगती है तो लड़ाई लाजमी हो जाती है।

राजधर्म से मुकदमे तक की यात्रा

सिंधिया घराना केवल एक परिवार नहीं रहा, वह ग्वालियर के इतिहास का अध्याय रहा है। महादजी से लेकर जीवाजीराव तक इस घराने ने राजनीति और समाज दोनों को दिशा दी है। राजधर्म का अर्थ कभी प्रजा की सेवा था, आज राजधर्म का अर्थ संपत्ति की व्याख्या बन गया है। पहले फैसले दरबार में होते थे, अब फैसले अदालत में होते हैं। पहले गवाह प्रजा होती थी, अब गवाह कागज होते हैं। यह बदलाव समय का है, पर इस बदलाव ने एक पीड़ा भी दी है। जब राज परिवार ही बंटवारे की मिसाल बन जाए तो आम परिवार क्या सीखेगा?

आम आदमी तो वैसे भी जमीन के एक टुकड़े के लिए अदालत के चक्कर काटता है, पर जब महल बंटता है तो बंटवारा खबर नहीं, बल्कि दर्शन बन जाता है। मोह ही दुख का कारण है। यह बात महलों पर भी लागू होती है और झोपड़ियों पर भी। ग्वालियर के इस विवाद में मोह संपत्ति का नहीं, बल्कि विरासत के अर्थ का है। हर पक्ष को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और अन्याय की भावना ही मुकदमे को जन्म देती है।

अदालत में तारीखें पड़ती हैं, वकील दलीलें देते हैं और बाहर जनता चर्चा करती है। पर भीतर जो टूटता है, वह है परिवार का वह सूत्र, जो कभी एक थाली में खाने से बनता था। आज वही थाली दो अदालतों में बंट गई है।

साहित्य में कहा गया है कि घर वही है, जहां मन मिले। यदि मन ही न मिले तो जय विलास जैसा महल भी धर्मशाला लगता है। इस विवाद का अंत केवल फैसले से नहीं होगा, इसका अंत समझौते से होगा। कानून संपत्ति बांट सकता है, पर मन नहीं जोड़ सकता। मन जोड़ने के लिए संवाद चाहिए, त्याग चाहिए और थोड़ा-सा अतीत को भूलने का साहस चाहिए।

सिंधिया घराने के पास आज भी मौका है कि वह इस विवाद को एक नई परिभाषा दे। यदि यह परिवार बैठकर यह तय कर ले कि संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में कैसे हो तो यही विवाद मिसाल बन सकता है। कई राजघरानों ने अपनी संपत्ति को संग्रहालय, ट्रस्ट या शिक्षा के लिए दान कर दिया है। इससे नाम भी रहता है और विवाद भी खत्म होता है।

ग्वालियर की जनता आज भी इस घराने को सम्मान से देखती है। वह सम्मान किसी महल के कारण नहीं, बल्कि उस उदारता के कारण है, जो इस घराने ने कभी दिखाई थी। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह हर महल को खंडहर बनाता है और हर खंडहर से नया रास्ता निकालता है।

41 हजार करोड़ की यह लड़ाई आज सुर्खी है, कल इतिहास बन जाएगी। पर इतिहास क्या लिखेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस लड़ाई का अंत कैसे होता है। क्या यह लड़ाई यह सिखाएगी कि संपत्ति बड़ी होती है या यह सिखाएगी कि परिवार बड़ा होता है?

जय विलास के आंगन में आज भी धूप आती है और आज भी मोर नाचते हैं। धूप को नहीं पता कि संपत्ति किसकी है और मोर को नहीं पता कि वारिस कौन है। वे तो बस अपने होने में मस्त हैं। शायद मनुष्य को भी यही सीखना है कि होने में ही सुख है, पाने में नहीं। यदि यह दर्शन समझ आ जाए तो महल बंटेगा नहीं, बल्कि महल से भी बड़ा कुछ जुड़ जाएगा और वह है मन का विस्तार।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

84 महादेव दर्शन यात्रा श्री नूपुरेश्वर महादेव- गंधर्व का शाप, साधना का प्रायश्चित और महाकाल वन का चमत्कार: जानिए नूपुरेश्वर महादेव की अनकही गाथा

'अभिमान जब टूटा, शिव ने थामा हाथ: उज्जैन के डबरी पीठा में विराजे श्री नूपुरेश्वर महादेव'

डॉ.नवीन आनंद जोशी

महाकाल वन की दिव्य चेतना: जब गंधर्व का अभिमान टूटा और उज्जैन में प्रकट हुए श्री नूपुरेश्वर महादेव

उज्जैन नगरी मात्र एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि शिव-तत्व की अनादि, अक्षुण्ण ऊर्जा का जाग्रत केंद्र है। स्कंद पुराण के 'अवंती खंड' में वर्णित महाकाल वन संपूर्ण सृष्टि के आध्यात्मिक रहस्यों को अपने भीतर समाहित किए हुए है।

उज्जैन के चौरासी महादेवों की यह दिव्य परिक्रमा कोई साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं, अपितु मनुष्य जीवन को सत्पथ की ओर उन्मुख करने वाला एक महान आध्यात्मिक अनुशासन है। इसी पावन श्रृंखला के 47वें क्रम में विराजमान हैं श्री नूपुरेश्वर महादेव, जिनका ऐतिहासिक मंदिर उज्जैन के डबरी पीठा क्षेत्र में स्थित है।

अहंकार से प्रायश्चित तक की यात्रा... स्कंद पुराण की कथा के अनुसार, राथंतर कल्प में भगवान शिव का परम भक्त 'नूपुर' नामक गंधर्व, कुबेर की दिव्य सभा में अप्सराओं का नृत्य-उत्सव देखने पहुँचा। वहाँ काम और अहंकार से प्रेरित होकर वह स्वयं भी नृत्य करने लगा मानो अपनी सीमाओं को विस्मृत कर बैठा हो। इस उद्दंडता से क्रुद्ध होकर कुबेर ने उसे शाप दे दिया कि वह देवलोक से पतित होकर मृत्युलोक में भटकेगा। किंतु जब गंधर्व नूपुर की सुप्त चेतना जागृत हुई और उसे अपनी भूल का सम्यक बोध हुआ, तो उसने अहंकार को सर्वथा त्याग कर गहन आत्म-मंथन किया। उसने महाकाल वन के दक्षिणी भाग में, प्राची सरस्वती के पावन तट पर स्थित शिवलिंग की शरण ली और वर्षों तक अनवरत तपस्या की। उसकी अटूट भक्ति और सच्चे प्रायश्चित से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने उसे समस्त शापों तथा कष्टों से मुक्त कर पुनः दिव्य तेज प्रदान किया। तभी देवताओं ने घोषणा की कि गंधर्व नूपुर द्वारा पूजित यह शिवस्वरूप संसार में श्री नूपुरेश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा।

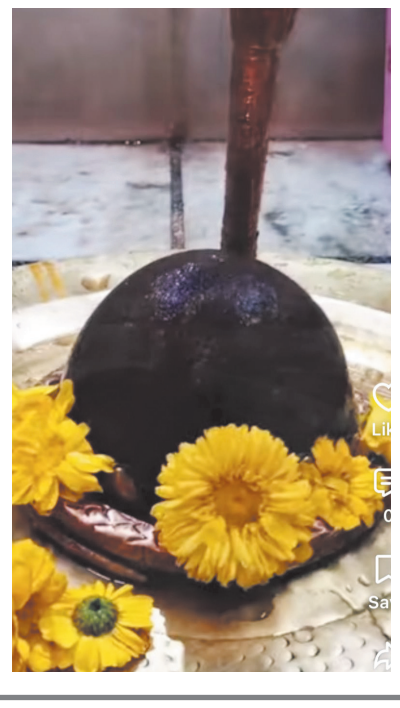

करुणानिधि महादेव: पापियों को भी प्रायश्चित का अवसर देने वाले परमेश्वर... यह कथा स्पष्ट करती है कि भगवान भोलेनाथ केवल संहारक ही नहीं, अपितु समस्त सृष्टि के सबसे बड़े करुणानिधि भी हैं। गंधर्व नूपुर से जो भूल हुई, वह अहंकार और मोह के वशीभूत हो जाने का परिणाम थी-ठीक वैसे ही जैसे आज के युग में मनुष्य क्षणिक अभिमान, वासना अथवा स्वार्थ में अपने आत्म-सम्मान और मर्यादाओं को भुला बैठता है। परंतु भगवान शिव का यह चरित्र हमें सिखाता है कि चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि आत्मा सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और भक्तिपूर्वक शरणागत हो, तो स्वयं महादेव उसे क्षमा प्रदान करने में क्षण भर भी विलंब नहीं करते। भोलेनाथ किसी को स्थायी रूप से दंडित करने वाले देवता नहीं, अपितु प्रत्येक पापी को सुधरने, प्रायश्चित करने और पुनः दिव्यता की ओर लौटने का अवसर देने वाले करुणा के सागर हैं।यह पावन कथा केवल अतीत की गाथा नहीं, वरन् वर्तमान युग के लिए भी एक गहन नीति-सूत्र है- 'भूल किसी से भी हो सकती है, परंतु उस भूल को विनम्रता से स्वीकार कर प्रायश्चित के मार्ग पर लौटना ही वास्तविक महानता है।' आज के डिजिटल और भौतिकतावादी युग में, जहाँ मनुष्य आत्म-सम्मान (स्वाभिमान) और अहंकार के बीच का भेद भूल बैठता है, यह कथा हमें सचेत करती है कि सच्चा स्वाभिमान संयम और मर्यादा में है, न कि दंभ में। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर सत्य, साधना और आत्म-शुद्धि के पथ पर अग्रसर होता है, तब परमपिता परमेश्वर स्वयं उसके जीवन-पथ के समस्त अवरोध हर लेते हैं।

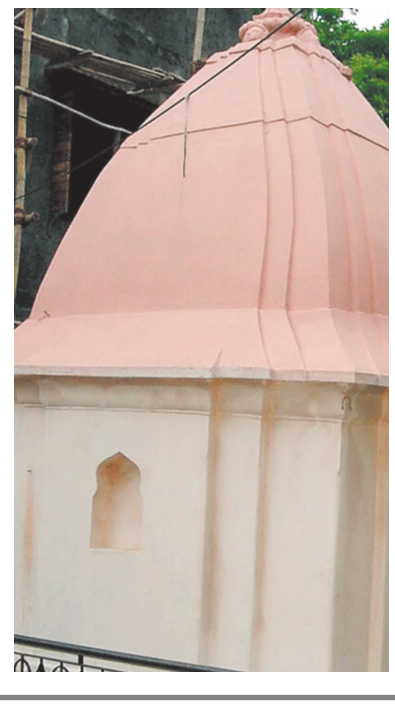

डबरी पीठा: आस्था और इतिहास का संगम.. आज श्री नूपुरेश्वर महादेव का यह पावन धाम डबरी पीठा क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। भक्तगण यहाँ पहुँचकर न केवल शिवलिंग के दर्शन करते हैं, अपितु इस कथा से जुड़े गहन जीवन-दर्शन को भी आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। उज्जैन की यह पावन भूमि, जहाँ प्रत्येक कण में शिव-चेतना का वास है, आज भी अपने भीतर ऐसे असंख्य रहस्यों को समेटे हुए है, जो श्रद्धा, साधना और प्रायश्चित की पराकाष्ठा को उजागर करते हैं।चौरासी महादेव श्रृंखला की यह यात्रा निरंतर जारी है, और श्री नूपुरेश्वर महादेव इस दिव्य माला का वह मणि हैं, जो हमें सिखाते हैं कि प्रायश्चित से बड़ा कोई तप नहीं, और करुणानिधि महादेव की क्षमा से बड़ी कोई शक्ति नहीं।